247

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग

क्रमांक प. 1 (23)शिक्षा/ग्रुप–4/1983 पार्ट जयपुर, दिनांकः 15/12/11

निदेशक,
कॉलेज शिक्षा,
राजस्थान, जयपुर ।

विषयः– राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम 1986 में प्रथम पदोन्नति पर राजस्थान सेवा नियम के नियम 26 "ए" का लाभ देनें के सम्बन्ध में ।
संदर्भः– निदेशालय, कॉलेज शिक्षा की पत्रावली संख्या 1(11) स्था/निकाशि/79

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत वित्त विभाग को पत्रावली प्रेषित कर यह राय जानी गयी थी कि क्या राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम 1986 में व्याख्याता पद से उपाचार्य पद पर पदोन्नति पर राजस्थान सेवा नियम के नियम 26 "ए" का लाभ देय है ।

वित्त विभाग द्वारा अपनें आई.डी.संख्याः 101102034 दिनांक 1.12.2011 को दी गयी राय के अनुसार व्याख्याता चयनित वेतनमान, उपचार्य (स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय) एवं प्राचार्य स्नातक महाविद्यालय व उप निदेशक, कॉलेज शिक्षा 31.12.2005 (1.1.2006 से नवीन वेतनमान संशोधन) तक समान वेतनमान में कार्यरत थे । उपाचार्य (स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय) प्रथम पदोन्नति का पद है, अतः इस पद पर पदोन्नत्ति पर राजस्थान सेवा नियम के नियम 26 "ए" का लाभ देय होगा। उप आचार्य के पद से प्राचार्य स्नातक/उप निदेशक स्तर पर पदोन्नति होने पर संबंधित को 250 रु0 प्रतिमाह विशेष वेतन देय होगा ।

उक्त निर्देश वित्त विभाग (नियम) की आई.डी.संख्याः 101102034 दिनांक 1.12.2011 के संदर्भ में प्रसारित किए जा रहे है ।

भवदीय,

(सलविन्द्र सिंह सोहता)
शासन उप सचिव, उच्चशिक्षा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–
1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय (उच्चशिक्षा) राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव (उच्चशिक्षा), राजस्थान, जयपुर ।
4. विशेषाधिकारी, वित्त (नियम)
5. शासन उप सचिव (उच्चशिक्षा) ।
6. लेखाधिकारी, उच्चशिक्षा ।

शासन उप सचिव (उच्च शिक्षा)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
क्रमांकः– एफ.1(11)स्था/निकाशि/79/2-97 दिनांकः 15-2-12
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः –
1. निजी सचिव, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर।
2. समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान ।
3. स्थापना(मुख्यालय/उपाचार्य) शाखा, कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर।
4. रक्षित पत्रावली।

(सुबीर कुमार)
निदेशक कॉलेज शिक्षा
एवं पदेन विशिष्ठ शासन सचिव,
उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।